कृषि विभाग
बिहार सरकार

"दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन" (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) अंतर्गत दाल प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई (दाल मिल) की स्थापना हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

प्रारूप

---

1. उद्देश्य :–

- राज्य में दलहन फसलों के उत्पादन उपरांत होने वाली क्षति को कम करने, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वद्धि हेतु फसलोत्तर अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस घटक के अन्तर्गत दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई/दाल मिल की स्थापना हेतु सहायता देय होगी।

2. पात्र आवेदक :–

- Farmer Producer Organization (FPOs)
- Cluster Level Federation (CLFs)
- Primary Agricultural Credit Societies (PACS)
- Individuals
- Any Other registered undertaking under any Act

3. पात्रता मानदंड :–

3.1 समूह श्रेणी :–

- इस योजना के अन्तर्गत FPO/CLF/PACS आवेदन कर सकते हैं।
- FPO/CLF/PACS कम से कम पिछले 02 वर्षों से पंजीकृत एवं संचालित होने चाहिए।
- आवेदक के पास परियोजना लागत के कम से कम 15 प्रतिशत अंशदान एवं कार्यशील पूँजी हेतु संसाधन उपलब्ध होना चाहिए।
- दलहन से संबंधित FPO/CLF/PACS को प्राथमिकता दी जाएगी।

3.2 व्यक्तिगत श्रेणी :–

- व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होगी। एक परिवार से केवल एक सदस्य ही अनुदान हेतु पात्र होगा। परिवार में स्वयं, पति/पत्नी तथा अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
- आवेदक के पास परियोजना लागत के कम से कम 15 प्रतिशत अंशदान एवं कार्यशील पूँजी हेतु संसाधन उपलब्ध होना चाहिए।

नोटः– अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. वित्त पोषण का तरीका :–

- दाल मिल प्रसंस्करण इकाई अंतर्गत मशीन, गोदाम/भवन निर्माण हेतु परियोजना लागत का 33% अथवा अधिकतम 25.00 लाख जो भी कम हो अनुदान देय होगा। साथ ही इस देय अनुदान राशि का अधिकतम 30% हीं भवन निर्माण/गोदाम के लिए दिया जा सकेगा (अर्थात शेष 70% अनुदान दाल मिल मशीनरी पर देय होगा)।

- **भूमि, विद्युत, मानव बल, श्रम एवं अन्य परिचालन व्यय पर अनुदान देय नहीं होगा।**
- **दाल प्रसंस्करण इकाई की न्यूनतम क्षमता 300 किलोग्राम** प्रति घंटा होना अनिवार्य होगा।
- **बैंक ऋण इस योजना के अन्तर्गत अनुदान हेतु अनिवार्य होगा।** शेष राशि आवेदक द्वारा अंशदान/ऋण/अन्य योजनाओं से व्यवस्था की जायेगी।

5. आवेदन प्रक्रिया :–

- विभाग स्तर से आवेदन आमंत्रित करने हेतु दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
- Online आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 31 दिन के अंदर **बिहार कृषि ऐप/डी0बी0टी0 पोर्टल** से प्राप्त किया जायेगा।

6. संवीक्षा एवं चयन प्रक्रिया :–

- प्राप्त आवेदनों की जाँच, मूल्यांकन एवं अनुमोदन जिला स्तरीय दलहन समिति द्वारा किया जायेगा।
- DSCP (जिला स्तरीय दलहन संचालन समिति) प्राप्त प्रस्तावों का दलहन मिशन की प्रासंगिकता, परिचालन एवं वित्तीय व्यवहार्यता, प्रस्तावित क्षमता एवं प्रौद्योगिकी, पूर्व अनुभव एवं उपलब्धियों के अभिलेख तथा उत्पादकों के साथ प्रस्तावित सम्बद्धता के आधार पर जाँच एवं तकनीकी मूल्यांकन करेगी।
- प्राप्त आवेदनों की पूर्णता, पात्रता तथा दिशा–निर्देशों के अनुरूपता के संबंध में जाँच की जाएगी।
- अपूर्ण आवेदनों को निर्धारित अवधि के अंदर पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु आवेदक को वापस कर दिया जाएगा।
- लाभुक का चयन लक्ष्य के तीन गुना कर प्राथमिकता सूची बनाया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता सूची से प्रथम क्रम के चयनित लाभुकों को सुकृति पत्र निर्गत किया जाएगा तथा स्वीकृति पत्र निर्गत करने के एक माह के अन्दर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर जिला कृषि पदाधिकारी उनके स्वीकृति पत्र निरस्त करते हुए अगले क्रम के चयनित लाभुक के नाम का स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाएगा।

7. सत्यापन एवं निगरानी :–

- जिला कृषि पदाधिकारी समय–समय पर भौतिक सत्यापन एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा दाल मिल प्रसंस्करण इकाई स्थापना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन DSCP (जिला स्तरीय दलहन संचालन समिति) एवं कृषि विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

8. अनुदान विमुक्ति प्रक्रिया :–

- अनुदान राशि दो चरणों में विमुक्त की जाएगी। 50 प्रतिशत अनुदान मशीनरी स्थापना के पश्चात तथा शेष 50 प्रतिषत सफलतापूर्वक संचालन के उपरांत देय होगा।
- इकाई स्थापना के उपरांत जिला कृषि पदाधिकारी एवं उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरान्त मानक के अनुरूप पाए जाने पर अनुदान राशि लाभुक के आधार संबद्ध बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।
- राशि की विमुक्ति जिला स्तरीय जाँच दल द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात् की जाएगी।

9. सामान्य शर्ते :–

- सभी मशीनरी BIS या समान गुणवत्ता मानक के अनुरूप होगी।
- FSSAI/ पर्यावरण, श्रम सुरक्षा तथा अन्य सांविधिक मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
- सहायता अनुदान कम से कम 300 किलोग्राम प्रति घंटा क्षमता वाले नव निर्मित दाल प्रसंस्करण इकाई पर देय होगी।
- लाभुक को परिसम्पत्ति कम से कम 03 वर्ष तक बनाये रखना होगा। इस अवधि में बिना अनुमोदन हस्तांतरण, विक्रय, गिरवी या अन्यथा निपटान नहीं किया जायेगा।
- निरीक्षण, अनुश्रवण एवं अनुदान के दुरूपयोग की स्थिति में वसूली एवं दण्डात्मक कार्यवाही प्रचलित नियमानुसार की जायेगी।